



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122022-241281
CG-DL-E-22122022-241281

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5714]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2022/अग्रहायण 30, 1944

No. 5714]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022/AGRAHAYANA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5952(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4461(अ) तारीख 22/09/2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य के अम्बाला जिले में अम्बाला-शहजादपुर-नारायणगढ़-कालाअम्ब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 के कि.मी. 0.000 से कि.मी.32.996 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "28/09/2022 " को "टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी)" और "दैनिक सवेरा (हिंदी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के अम्बाला जिले में अम्बाला-शहजादपुर-नारायणगढ़- कालाअम्ब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 के कि.मी. 0.000 से कि.मी.32.996 तक के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: हरियाणा			जिले का नाम: अम्बाला		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: नारायणगढ़					
गांव का नाम: शहजादपुर ह. ब. संख्या 58					
1	160/1/1/2	निजी	गैर मुमकिन सड़क	1.596	गुरदीप सिंह पुत्र कैप्टन रणजीत सिंह ()
			कुल	1.596	

[फा. सं. NHAI/PIU/CHD/11163/Ambala-Kalaamb/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2022

S.O. 5952(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O.4461(E) dated 22/09/2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Ambala-Shahjadpur-Naraingarh-Kalaamb Road Section of NH-72 land from Km 0.000 to Km 32.996 in the District of AMBALA in the state of HARYANA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Times of India (English)” and “Dainik Sawera (Hindi)” both dated 28/09/2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Ambala-Shahjampur-Naraingarh-Kalaamb Road Section of NH-72 land from Km. 0.000 to Km. 32.996 in the District of AMBALA in the State of HARYANA.

State: HARYANA		District: AMBALA			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Naraingarh				
	Village: Shahjampur H.B. No. 58				
1	160/1/1/2	Private	Gair Mumkin Sadak	1.596	Gurdip Singh S/o Capt. Ranjit Singh
			TOTAL	1.596	

[F. No. NHAI/PIU/CHD/11163/Ambala-Kalaamb/3D]

RAJESH GUPTA, Director